

कार्यालय,**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद,****द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र।**

संख्या:- प्राशिन/परिषद/सम्बद्ध/2021/3437

संलग्नक दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय भाग:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयित ऑफ इन्फिना, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थियों को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण परिषद से को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, 20/08/2021 संलग्नक से सम्बद्धता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अतिरिक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण में सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता प्रमाणपत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अतः सत्र 2021-22 हेतु अतिरिक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए निम्न सूची में सूचीबद्ध संस्थाओं को सम्बद्धता प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न सूची में सूचीबद्ध संस्थाओं को अनुमोदन में निम्न सूची में सूचीबद्ध संस्थाओं को प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद, 20/08/2021 संलग्नक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित सूची के अंतर्गत प्रमाणपत्र एवं उपरोक्त अतिरिक्त प्रमाणपत्र हेतु सम्बद्धता प्रमाणपत्र प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2258-RAJ SHREE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, BAREILLY

क्र.सं.	प्रमाणपत्र का नाम	एच-आई-टी-सी/आई-टी-सी/आई-आई-टी-सी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	P.G DIPLOMA IN BIO TECHNOLOGY (TISSUE CULTURE)	60	60
2	P.G DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN	60	60
3	P.G DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT	60	60
4	P.G DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
5	P.G DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
6	P.G DIPLOMA IN ACCOUNTANCY (WITH COMPUTE RISED ACCOUNTS & TAXATION)	60	60
7	P.G DIPLOMA IN WEB DESIGNING	60	60
8	P.G DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60
9	P.G DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60

क्र.सं.	पठनक्रम का नाम	ए०आई०सीटीआई०/पीसीआई० द्वारा सन 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
10	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60
11	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
12	CIVIL ENGINEERING	60	60
13	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
14	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्ध हेतु खाँ

- ✓ संघ ए०आई०सीटीआई०/पीसीआई० द्वारा निर्धारित की गई खाँ खाँ पर पूर्ण। मान्य करेगी।
- ✓ संघ उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कुल तीन वर्षीय द्वितीय पाठ्यक्रमों हेतु ए० 30150.00/-, प्रथम, दो वर्षीय तृतीय पाठ्यक्रम हेतु ए०-45000.00/-, प्रथम एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय तृतीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ए०-22500.00/-, प्रथम कुल दो प्रत्येक उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों से कुल के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर चर्चा द्वारा निर्मित किये जाते जाते मान्यता प्राप्त होती, और अनुसूचक कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीएस निर्माण समिति द्वारा एक्ट सन 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्माण किया जाता है, से पीस की नीतिगत दो लागू होती।
- ✓ संघ को (2020 प्रविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उप अधिनियम, संशुद्धों की सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संघ में अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आवेदन करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के बिना एट जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश मान्य के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संघ को जमा-समाप्त पर निर्णय मान्यता के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्ध कुल जमा करना होगा।
- ✓ संघ को ए०आई०सीटीआई०/पीसीआई० से अपने सन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संघ उत्तर प्रदेश मान्य द्वारा बनाने परे विधि-विधानों/विधिकों/संसाधनों/सिद्धियों एवं निर्देशन, प्रविधिक शिक्षा, उद्योग, संसुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग द्वारा बनाने परे निर्माण, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिवसेवह एन कॉलेज पाठ्यक्रम की संशुद्ध की पी.सी.आई. यू. विद्या से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रही है की इस संशुद्ध में समझ-बूझ उद्योगों/संघ का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसुद्ध अपने उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संसुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निर्देशन एवं प्रविधिक शिक्षा निदेशन उत्तर प्रदेश मान्य को कोई बंध उत्पन्न किया जाता है तथा मान्य कर के संशुद्ध में या, न्यायपालना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समझ-बूझ प्रतिपूर्ति संबंधित संसुद्ध को करनी होगी।
- ✓ दिवसेवह एन कॉलेज पाठ्यक्रम संशुद्धित करने वाली संसुद्ध को संसुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उद्योग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कर्तव्यनिष्ठ बाध्य हो। के पूर्व पीसीआई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (कर्तव्यनिष्ठ) के माध्यम से अपना संसुद्ध सार पर शीघ्र प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नीतिगत आदेशन निर्माण का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संघ को अपने सेक्टर पर संघ की समझ-बूझ के संघ की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, मान्य, समझ-बूझ, उत्तरदायी, जमा किया जाने बाध्य कुल, उद्योगों कुल आदि का किताब उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संघ को शिक्षा-प्रविधिक हेतु उद्योग पाठ्यक्रम उपलब्ध बनाने के साथ शीघ्र शीटों के सम्बन्ध में समझ

अवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ सलाह का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासिका, कर्मचिय, वाहनचालक को पढ़ाने वाले हेतु विदेशिय हरिदि के समय उपलब्ध कराने को अनिवार्य, भूमि-भवन, कर्मचिय, वाहनचालक इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वाहनचालक के सहायन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो वाहनचालक को वाहनचालक शपथ दिये जाने की अनुमति ही उपरोधी।
- ✓ सलाह के सुलभ निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, वाहनचालक, वाहनचालक एवं अन्य सहा-सहायक सुविधाओं/सुविधाओं/सुविधाओं/सुविधाओं के माध्यम/द्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को सम्बन्धित समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित पत्रों का अनुपालन न किये जाने कक्षा पत्रों का उत्तरादन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन/उपलब्ध कराने/सुविधा ही उपरोधी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पत्रांक- प्राविश/परिषद सम्बन्धित/2021/3538-4869

दिनांक: 09/08/2021

प्राविश-

पञ्जाब/विदेशी/RAJ SHREE INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, BAREILLY


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव